


66/13



₹ 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(1)

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh



दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

हम कि श्रीमती अलका यादव पत्नी श्री नूर्यनाथ यादव व सिद्धार्थ यादव पुत्र श्री सूर्यनाथ यादव, मु०- अजमतपुर गौडर (अतलस टैंके के पास), पोस्ट- सहर, जमशेदपुर, झारखण्ड इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी है जो दिनांक 29-8-13 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मिक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एवं अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रुचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते है। हम श्रीमती अलका यादव संस्थापक ट्रस्ट प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व सिद्धार्थ यादव सहायक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए श्री सोनई विद्या ट्रस्ट की स्थापना करते है। इस ट्रस्ट/न्यास का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

Manager
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh


Manager
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Siddhant Yadav
Siddhant Yadav

Principal
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ପତ୍ରଟିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ।

ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପାଧିକାରୀ
ନ. ୨-୧-୦-୨୫୩
୧୬-୧୦-୧୩



ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପାଧିକାରୀ
ଖଣ୍ଡଗିରି ଜିଲ୍ଲା

ଅନୁରୋଧ

ଖଣ୍ଡଗିରି ଉପାଧିକାରୀ

ଅନୁରୋଧ
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

ଅନୁରୋଧ
Principal
Lower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय नैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(2)

ट्रस्ट (न्यास) का नाम-
ट्रस्ट का पता-

सोनई विद्याट्रस्ट
मुहल्ला
पोस्ट
थाना
परगना
तहसील
जनपद

अजमतपुर कोडर
सदर
कोतवाली
सदर
सदर
आजमगढ़

मुख्यालय- पंजीकृत कार्यालय मु०- अजमतपुर कोडर, पोस्ट सदर, जनपद आजमगढ़ (उ०प्र०) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहमति प्रदान किया है।

- 1- श्रीमती अलका यादव पत्नी श्री सूर्यनाथ यादव मु०- अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पो०- सदर, जनपद- आजमगढ़ (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)
- 2- श्री सिद्धार्थ यादव पुत्र श्री सूर्यनाथ यादव मु०- अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पो०- सदर, जनपद- आजमगढ़ (सहायक ट्रस्टी द्वितीय)
- 3- श्री सुकान्त यादव पुत्र श्री सूर्यनाथ यादव मु०- अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पो०- सदर, जनपद- आजमगढ़ (सदस्य)
- 4- श्रीमती सुष्मिता यादव पत्नी श्री विजय यादव मु०- नवापुर कस्बा व पो०- दोहरीघाट, जनपद- मऊ (सदस्य)

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

31 Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Siddhant Yadav


Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Handwritten text at the top of the page, possibly a reference number or date.

Handwritten text below the top line, possibly a date or code.

प्रशासक
ग तिथि

नॉ-14
मदर, अ



Handwritten text to the right of the stamp, possibly a name or title.

31 Mohi 4794
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Anuska
Ladav
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

₹ 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869286

- (5) श्रीमती श्वेता यादव पुत्री श्री सत्यपाल यादव, मु०-अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पोस्ट-सदर, जनपद-आजमगढ़ (सदस्य)
- (6) श्री श्याम सिंह यादव पुत्र स्व० तिलकधारी यादव, ग्राम-व पोस्ट-पठकौली, जनपद-आजमगढ़ (सदस्य)
- (7) श्री केशभान यादव पुत्र स्व० शिवनाथ यादव, ग्राम-देवपार, पोस्ट-भैरनाथ, जनपद-आजमगढ़ (सदस्य)
- (8) श्री सत्यपाल यादव पुत्र श्री रामजग यादव, मु०-अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पोस्ट-सदर, जनपद-आजमगढ़ (सदस्य)
- (9) श्री जगदीश यादव पुत्र स्व० झोलई यादव, ग्राम-कुसुम्हो, पोस्ट-गौवा, जनपद-मऊ (सदस्य)
- ट्रस्ट का नाम- सोनई जी विद्या ट्रस्ट
- ट्रस्ट का पता- मु०-अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पोस्ट-सदर, जनपद-आजमगढ़
- ट्रस्ट का मुख्यालय- मु०-अजमतपुर कोडर (अतलस टैंक के पास), पोस्ट-सदर, जनपद-आजमगढ़
- ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र- सम्पूर्ण भारत वर्ष
- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य- ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ-साथ बलियों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीडा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीडा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कूचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक, व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाइब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

Little Flower Children School

अजमल यादव
अजमल यादव
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Siddhant Yadav
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869287

(4)

बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश-विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थाएँ खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा- आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चंदा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूकता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरितियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह-उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, नूनि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलांग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं मत्स्य कल्याण, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थाएँ, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग सेवा, नुदम एवं लेखन, नूनि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्वक्या, जनस्य, सार्वजनिक चयन, सूचना एवं जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, मुक्तवत्, प्रशिक्षण एवं चंदायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा-यमुना आदि स्वैच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा

अमोहा 144
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

अमोहा 144

Siddhant Yadav Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

अमोहा 144

नं 32 W 987 मार 2401 आरक्षण 008
13-8-2013

प्रमुख कुमार राय ला 0 नं-141
1 विभाग काशी नगर, उज्जैन

काशी लय कोषा गार
13 AUG 2013
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

आमका यादव
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869288

(B)
सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थाएँ, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिंग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थाएँ आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

3 ट्रस्ट का कार्यकाल- ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेंगे, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई एक पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

4 ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता- पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

5 ट्रस्ट की सदस्यता- ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 9 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की सहमति से 1,00,000.00 रुपये (एक लाख रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रु० 25,000.00 (पच्चीस हजार रुपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।


Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur Azamgarh

सिद्धान्त यादव
31/05/21
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur Azamgarh

Siddhant Yadav
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Handwritten text at the top of the page, possibly a date or reference number: 5-3-14 5-3-14 and 11-11-2013

अशोक कुमार राय लल्लू नरसिंह
रम निदेशक कार्यलय राधे, अजमेर



अशुलका यादव

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869292

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य—

(6)

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम —

- 1- संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
- 2- मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।
- 3- संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
- 4- किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।
- 5- आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
- 7- ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।
- 8- मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की परीक्षा करना।
- 9- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
- 10- मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, सन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कॉर्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।
- 11- संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 12- संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।
- 13- किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
- 14- ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिणयों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।
- 15- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।
- 16- ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

Principal


Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

अलिकाषादेव
Manager
Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

अलिकाषादेव
Ma
Little Flower
Tahbarpur, Azamgarh

Siddhant





अमोही यादव
Manager

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Ausika Tadar
Principal

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

बनारस प्रवेश
रोकथिवा
कोषागार-आकडहवा

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869293

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-

- 1- मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
- 2- बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा-निर्देश देना।
- 4- नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।
- 5- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
- 6- ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।
- 7- ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी-

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग-

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

- 1- साधारण सभा
- 2- प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)-साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 25,000.00 रु० संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 9 होगी तथा इनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा।

सिद्धान्त मदन
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

सिद्धान्त मदन

सिद्धान्त मदन
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Siddhant Madan
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh


Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869294

बैठकें-

1- साधारण बैठकें- ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2- विशेष बैठक- दो तिहाई सदस्यों की लिखित मांग पर या आवश्यकता पड़ने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अधि- साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव/संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति- बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन- साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य- साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय-व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय-समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति-

गठन- साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा।

अमल का यादव

Siddhant Yadav

Arunika Yadav
Principal

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

अमल का यादव
Manager


Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

2013-14-141

11-2-213

अशोक कुमार राव, लोक नं-141
रब निवन्धक कार्यालय, राव, आज़मगढ़



बेसिक सुधार
रोकड़िया
कोषागार-आज़मगढ़

अशोक यादव
Mansger
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Aushika Yadav
Principal

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Mansger
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869295

(9)
ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें—

सामान्य— सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य-संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष— विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मीग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि— साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य-संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ता अथवा डाक भण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

गणपूर्ति— प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति— यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से मरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

31/12/19

31/12/19
Manager

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Siddhant Yadav
Principal

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

नं-४२५ 320 320 320 320 320
74-2-243

भशोक कुमार गण ला0 नं0-141
प.निबन्धक



51.000.00

यास पत्र

510.00

न्यास की राशि
श्रीमती
पत्नी श्री

अलका यादव
सूर्यनाथ यादव

अलका यादव

फीस रजिस्ट्री

नकल व प्रति शुल्क

100

610.00

5.000

योग

शब्द लंगभंग

व्यवसाय अन्य

निवासी स्थायी
अस्थायी पता

सा0 कोडर अजमतपुर (अतलस टैंक के पास) पो0 सदर जिला आजमगढ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में

दिनांक 20/8/2013 समय 3:30PM

वजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

विजय कुमार तिवारी
उपनिबन्धक सदर

आजमगढ

20/8/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद युनने व समझने मजमून

न्यासी

श्रीमती अलका यादव
पत्नी श्री सूर्यनाथ यादव
पेशा अन्य

निवासी सा0 कोडर अजमतपुर (अतलस टैंक के पास) पो0 सदर जिला आजमगढ

अलका यादव

श्री सिद्धार्थ यादव
पुत्र श्री सूर्यनाथ यादव
पेशा अन्य

निवासी सा0 कोडर अजमतपुर (अतलस टैंक के पास) पो0 सदर जिला आजमगढ

Siddhant Yadav

अलका यादव
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Aurika Yadav
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



ONE
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 86929b

(10)

आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000.00 रुपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य- प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

- 1- बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
- 2- ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
- 3- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, तिलम्बन, निष्कासन, पदांन्ति, विनियमनिकरण एवं अनुमोदन करना।
- 4- आय-व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

समय-समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22- ट्रस्ट (न्यास) के कोष-

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur Azamgarh

सत्यमेव जयते

Manager

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh


Principal

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

न-४३५ १५२१० ३५० ३५० ३५०

१९५२२५३०

असोक कुमार राय ला० नं०-१४१
उप निबंधक काशीनगर मटर, धातमगढ़



बदिल कुमार
रिजिस्ट्रार
कोषागार-आजमगढ़

ने निष्पादन स्वीकार किया।

जिनकी पहचान श्री विजय शंकर यादव *विजय शंकर यादव*

पुत्र श्री रवि जगन्नाथ यादव

पेशा अन्य

निवासी सा० मुहल्ला निजामुद्दीनपुरा तह० सदर जिला मऊनाथ

व श्री सूर्यनाथ यादव *सूर्यनाथ यादव*

पुत्र श्री रवि सोनई यादव

पेशा नीकरी

निवासी सा० कुरुमुहां पो० गोंडा तह० घोसी जिला मऊ

ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

Ravindra Sonai
रविंद्र सोनई
ब०नि०लि०

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Vijay Kumar Tiwari
विजय कुमार तिवारी
उपनिबंधक सदर
आजमगढ़
20/8/2013

अंशुका यादव
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Anushka Yadav
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

रु. 100



सत्यमेव जयते

Rs. 100

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869297

- (1)
- 23- ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा-परीक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा-परीक्षण कराया जायेगा।
- 24- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व- ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरुद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित्त नियुक्त कर सकती है।
- 25- ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख- ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे-सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर, क्रैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।
- 26- सोनई जी विद्या ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रू0 51,000.00 (इक्कावन हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।
- 27- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही- ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।
- 28- ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।
- 29ए- हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur Azamgarh

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BS 869298

(12)

29बी-संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

29सी-केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

29डी-आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक : 20-8-2013

दस्तखत गवाह

विद्यापतिश्री मा. एम. स्कूल, अमरगढ़, अजमगढ़

विद्यापतिश्री प्रभु, अमरगढ़ मेजर 190 म 30

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

स्वयं नाम मा. एम. स्कूल, अमरगढ़, अजमगढ़
मा. सु. स्कूल, जे. गोंडा, अजमगढ़
अमरगढ़ - अजमगढ़ 2205

अमरगढ़

Siddhant Yadav
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh



अमरगढ़
Manager

Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh




अमरगढ़
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

5. 15. 15 228 228 228 228

11-2-2013

विजय कुमार राय एडु. नं. 145
उपनिबन्धक कार्यालय सदर, आजमगढ़



विजय कुमार राय
उपनिबन्धक
आजमगढ़ - आजमगढ़

आज दिनांक 20/08/2013 को
वही सं. 4 जिल्द नं. 145
पृष्ठ सं. 205 से 228 पर क्रमांक 66
रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Signature)
विजय कुमार तिवारी
उपनिबन्धक सदर
आजमगढ़
20/8/2013

(Signature)
Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

(Signature)
Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Principal
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh

Manager
Little Flower Children School
Tahbarpur, Azamgarh